न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 17/2021 जिला सीकर

1. हरबक्षाराम पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी लाखनी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. रामनाथ पुत्र श्री नारायण जाति जाट निवासी लाखनी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट

2. मोहनलाल पुत्र सुरजा
3. चांवली पुत्री सुरजा
4. पतासी पुत्री सुरजा
5. सन्तोष पुत्री सुरजा
6. भागोती पुत्री सुरजा
7. सुल्तान सिंह पुत्र गोविन्दा
8. लालूराम पुत्र गोविन्दा
9. भागीरथ सिंह पुत्र गोविन्दा
10. अर्जुनसिंह पुत्र गोविन्दा
11. बनवारीलाल पुत्र गोविन्दा
12. बद्रीसिंह पुत्र गोविन्दा
13. हरीसिंह पुत्र गोविन्दा
14. सागरमल पुत्र रामूराम
15. प्रभुराम पुत्र रामूराम
16. सरदारा पुत्र रामूराम
17. सीताराम पुत्र श्रीमती नारायणी देवी
18. हरफूल पुत्र श्रीमती नारायणी देवी
19. भगवानी देवी पुत्री श्रीमती नारायणी देवी
20. गोपाल पुत्र बंशीधर
21. मनीष पुत्र बंशीधर
22. राजदेवी पत्नी बंशीधर
23. लक्ष्मी पुत्री बंशीधर
24. सजना पुत्री बंशीधर
25. सुनीता पुत्री विमला पुत्री बंशीधर
26. सुभाष पुत्र विमला पुत्री बंशीधर
27. सुरेन्द्र पुत्र विमला पुत्री बंशीधर
28. सीताराम पुत्र झुंथाराम
29. हरफूल पुत्र झुंथाराम

समस्त जाति जाट निवासी लाखनी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला जिला सीकर दिनांक 08.03.2021

उपस्थित—

1. श्री श्यामबाबू पारीक वकील अपीलान्ट
2. श्री हेमन्त दीक्षित वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1
3. श्री राकेश शेखावत वकील रेस्पोडेन्ट नं 2 से 29 की ओर से

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक –20.09.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के निर्णय दिनांक 08.03.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामनाथ पुत्र श्री नारायण जाति जाट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के समक्ष ग्राम पंचायत लाखनी के द्वारा विवादित आराजीयात खसरा नं. 1100, 1109, 1110, 1111 कुल किता 4 रकबा 2.06 है0 वाके ग्राम लाखनी तहसील खण्डेला में स्थित भूमि के खोले गये नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 08.11.1990 को गलत बताते हुये आदेश दिनांक 08.11.1990 को निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत लाखनी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 08.11.1990 को निरस्त कर पुनः सही जॉच व सुनवाई का अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 08.03.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट हरबक्षाराम पुत्र घासीराम जाति जाट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के निर्णय दिनांक 08.03.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजीयात खसरा नं. 1100, 1109, 1110, 1111 कुल किता 4 रकबा 2.06 है0 जिसके गत खसरा नं. 606 रकबा 9 बीघा थे जिसका हरदेवा रिकार्डेड खातेदार था जिसमें से 4 बीघा 10 बीस्वा भूमि गोविन्दराम, रामराम, झूंथाराम व सुरजाराम पुत्रान् मानाराम को विक्रय कर दी गई एवं 3 बीघा 10 बीस्वा भूमि अपीलांट श्री हरबक्षा पुत्र घीसाराम को जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय कर दी गई एवं इसके आधार पर अपीलांट के नाम नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 08.11.1990 खोला गया। हरदेव द्वारा स्वयं इस विक्रय पत्र को चुनौती नहीं दी गई है एवं रेस्पोडेण्ट ने कहीं भी यह नहीं बताया है कि वह हरदेव का पुत्र या दत्तक पुत्र था। इस आधार पर उसका कोई ल़ोकस स्टेण्डाई नहीं है। ग्राम पंचायत लाखनी द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर उचित नामान्तरकरण दर्ज किया गया है इसमें कानूनन कोई जॉच की आवश्यकता नहीं है। उक्त मूल विवाद नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 08.11.1990 में रजिस्ट्री से भिन्न दिशा एवं कम–ज्यादा रकबा को लेकर जिसे नामान्तरकरण की कार्यवाही में नहीं देखा जा सकता। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए खोला गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय तथ्यों पर गौर किए बिना ही निरस्त कर रिमाण्ड के आदेश दिये हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खण्डेला दिनांक 08.03.2021 निरस्त किया जावे। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न दृष्टान्त पेश किये:

1. आर.आर.टी 2010(2) 1317 बी पैरा 8–9
2. आर.आर.डी 2002 पेज 282,723
3. आर.आर.डी 2001 पेज 469
4. आर.आर.टी. 2006–07(supp.)पेज 292

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम पंचायत लाखनी द्वारा विक्रय पत्र में निर्दिष्ट स्थिति व मौके पर कब्जे की स्थिति व पटवारी रिपोर्ट के प्रतिकूल जाकर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। उक्त विवादित भूमि जो पूर्व में 9 बीघा अंकित थी जिसका रकबा हैक्टर में रूपान्तरित होने पर 2.25 है0 अंकित होना चाहिए था व 2.06 है0 अंकित हो गया जिसे अधीनस्थ न्यायलय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 08.11.1990 को विवादित मानते हुये निरस्त कर सही जॉच के आधार पर समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत् निर्णय पारित करने के ही आदेश दिए गए हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, इसमें अन्य किसी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न दृष्टान्त पेश किये:

1. आर.बी.जे. 1994 पेज 339–342
2. आर.आर.डी 1992 पेज 545

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजीयात खसरा नं. 1100, 1109, 1110, 1111 कुल किता 4 रकबा 2.06 है0 जिसके गत खसरा नं. 606 रकबा 9 बीघा थे जिसका हरदेवा रिकार्डेड खातेदार था जिसमें से 3 बीघा 10 बीस्वा भूमि अपीलांट श्री हरबक्षा पुत्र घीसाराम को जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय कर दी गई एवं ग्राम पंचायत लाखनी द्वारा इसी विक्रय पत्र के आधार पर ही नामान्तरकरण 110 दिनांक 08.11.1990 दर्ज किया गया है। अतः यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त भूमि में अपीलांट सद्भाविक क्रेता है इसमें रेस्पोडेण्ट का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। उक्त विवाद कम–ज्यादा रकबा एवं भिन्न दिशा के अंकन को लेकर है इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि कम–ज्यादा रकबा या दिशा से संबंधित विवाद को नामान्तरकरण की कार्यवाही में नहीं लिया जा सकता इसके लिए संबंधित न्यायालय में विधिक प्रावधानों के तहत् अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः ग्राम पंचायत लाखनी द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 08.11.1990 दर्ज किया गया है वह उचित एवं विधिसम्यक है इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर का निर्णय दिनांक 08.03.2021 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner